

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
 105/25

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि.
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला
 की जमाबन्दी सन्ख्या में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01,	53, 54, 55

[Signature]
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 पदेन सहायक कलक्टर
 जिला-राजसमन्द

दिनांक :-

क्रमांक :- 105/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली। को सूचनाथ।

[Signature]
 पीठासीन अधिकारी
 लोक सहायक एवं
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 105/25